उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
U.P. Power Transmission Corporation Limited
(A Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

Electricity Transmission Division- Ghazipur.
220 KV S/S Talwal Hydle Colony Ghazipur
Pin 233002

E-mail-eeetd2var@upptcl.org
Mob. 9415311047

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत प्रेषण खण्ड गाजीपुर
220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द तलवल हाइडिल कालोनी गाजीपुर
पिन 233002

पत्रांक 2228 वि0प्रे0खं0–गा0) / दिनांक 12/11/2022

विषय : जनपद सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में 400 के० वी० ओबरा लिलो विधुत पारेषण लाइन में प्रभावित 7.5118 हे० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा

सन्दर्भ :-प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग पत्रांक 956/ओबरा/15भू०ह० दिनांक 29.10.22,पत्रांक381/ओबरा/15भू०ह० दिनांक 20.08.22 एवम् मुख्य वन संरक्षक /नोडल अधिकारी ,उ०प्र०.लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 499/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/ट्रांस / 44753/2020 दिनांक 10.08 22

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में बिन्दुवार मागी गयी सूचना का विवरण निम्नवत है।

	आपत्ति	निराकरण हेतु आख्या
1	सयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है ,किन्तु आन लाइन भाग -2 के Addition Information Detail से पूर्व का त्रुटि पूर्ण सयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र डिलिट कर संशोधित सयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र यथास्थान पर अपलोड नही किया गया है	महोदय स्तर से होना है।
2	प्रस्ताव में संलग्न स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में पुन: प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उलघंन न किये जाने का उल्लेख किया गया है जबकि प्रकरण में लीज अवधि दिनांक 01-10-2019 को समाप्त हो चुकी है।प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दिनांक 01-10-2019 के पश्चात भी वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग किया गया है। अत: उलघन के सम्बन्ध में सही स्थिति का उल्लेख करते हुए संशोधित स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न कर आनलाइन अपलोड करे	400 के० वी० ओबरा लीलो डबल सर्किट विधुत पारेषण लाइन के निर्माण में ओबरा वन प्रभाग की लगभग 19.968 हे०वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या 8 बी /04/1692/98एफ०सी ०दि०8.03.1999 द्वारा गैर वानिकी कार्य हेतु उ०प्र०राज्य विधुत परिषद (वर्तमान में उ०प्र०पा० टांसमिशनकारपोरेशन लि०) को हस्तांतरित किया गया था।जिसमे कोई समय सीमा नही दी गई है ,एवम् इसके क्रम में उप सचिव उ०प्र०शासन के आदेश स०जी आई०/322/14.2.99 /700(2)/97 दिनांक 01.10.99 द्वारा उक्त विधुत पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 19.968 हे०वन भूमि 20 वर्षो हेतु उ०प्र०राज्य विधुत परिषद (वर्तमान में उ०प्र०पा० टांसमिशनकारपोरेशन लि०) को हस्तांतरित किया गया था।जिसकी लीज अवधि 01.10.2019 को समाप्त हो चुका है। तत्पश्चात आनलाइन पोर्टल पर लीज नवीनीकरण हेतु कुछ अभिलेखो की आवश्यकता थी जिसके सम्बन्ध में इस कर्यालय के पत्रांक संख्या 1358वि0प्रे0खं0 द्वितीय (वा0) दिनांक 29.08.2019 तथा उपखण्ड अधिकारी के पत्रांक 130 वि0प्रे0उ0खं0 तृतीय (रा0) दिनांक 21.10.2019 द्वारा आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया गया था जिसके कम में वन विभाग ओबरा द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी को सुयंक्त निरीक्षण कराने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 28.12.2019 को संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसके कम में अवगत कराया गया कि ग्राम बिल्ली मारकुण्डी की धारा–20 की प्रकिया पुनः न होने के कारण उक्त लाइन में प्रभावित होने वाले वन भूमि का क्षेत्रफल तथा गाटा उपलब्ध नही हो सका। ग्राम बिल्ली मारकुण्डी की धारा–20 की अधिसूचना दिनांक 15.06.2020 को निर्गत किया गया जिसके पश्चात आवश्यक अभिलेखों के साथ दिनांक 22.07.2020 को लीज नवीनीकरण हेतु आनलाइन डाटा इन्ट्रि किया गया। भारत सरकार के पत्र संख्या 8 बी /04/1692/98एफ०सी० दि० 8.03.1999 द्वारा गैर वानिकी कार्य हेतु दी गई अनुमति में कोई समय सीमा नही दिया गया है तथा वर्ष 2019 से नए सर्किल रेट से लीज का रेंट भी ससमय जमा किया जाता रहा है। अत : इस कार्यालय द्वारा दिनांक 1.10.19 के पश्चात भी उक्त वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग किया जाना वन सरक्षण अधिनियम 1980 का उलघन न माना जाये।

	प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष के पत्रांक -1428/11-सी दिनांक-16.12.2020 के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का डी०एस०एस०एनालिसिस से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र पुन: संलग्न नही किया गया है।	बिंदु संख्या 3,4 ,5 ,6,7,8 जो कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित है के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त लाइन में प्रभावित वन भूमि 19.968 हे० के लीज के समय इस कार्यालय द्वारा 19.968 हे०गैर वन भूमि पर वनीकरण हेतु रु० 8,55,968.00 मात्र प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर को उपलब्ध करा दी गई थी। वर्तमान में कोई नया निर्माण कार्य नही किया गया और न ही किया जाना है। ,जिस कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण की देयता नही बनती है।
4	प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुने अवनत वन भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवम् 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्लन प्रस्ताव में पुन: संलग्न नही किया गया है अत: संलग्न कर आन लाइन भाग -2में यथा स्थान पर अपलोड करे	
5	प्रस्ताव में प्रस्तावित वन भूमि पर प्रस्तावित पारेषन लाइन के नीचे बोने (औसधीय) पोधो के वृक्षारोपण एवम् 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राकलन पुन: संलग्न नही किया गया है। अत: संलग्न कर आन लाइन भाग -2 में यथा स्थान पर अपलोड करे।	
6	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापन जिओ रिफरेन्सड डिजिटल मेप प्रस्ताव में पुन : सलग्न नही है। अत: सलग्न कर आन लाइन भाग -2 में यथा स्थान पर अपलोड करे।	
7	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित 1:50000 माप की रंगीन टोपोशीट प्रस्ताव में पुन: सलग्न नही है। अत: सलग्न कर आन लाइन भाग -2 में यथा स्थान पर अपलोड करे।	
8	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में पुन: संलग्न नही है। अत: सलग्न कर आन लाइन भाग -2 स्थान अपलोड करे।	
9	प्रस्ताव में एन०पी०वी० की गणना सलग्न नही है किन्तु आन लाइन भाग -2 के एडिशनल इनफार्मेशन डिटेल से पूर्व का त्रुतिपुरक एन०पी०वी० की गणना डिलीट कर संशोधित एन०पी०वी० की गणना यथास्थान पर अपलोड नही किया गया है।	महोदय स्तर से होना है
10	आन लाइन भाग -2 के क्रमांक 5 में गलत डाटा फीड किया गया है। अत: सही डाटा फीड करे।	महोदय स्तर से होना है
11	उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव का पूर्ण पी०डी०एफ० फाइल जिसमे क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवम् प्रस्तावित स्थल की के० एम० एल० फाइल भी हो , पेन ड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव के साथ सलग्न करे।	महोदय कार्यलय में पहले ही जमा किया जा चुका है

अत : आप से अनुरोध है कि लीज नवीनीकरण प्रस्ताव में दर्शाई गई कमियों /आपतियो (महोदय स्टार से होना है) को दूर कर उक्त लीज नवीनीकरण प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र को शीघ्र प्रेषित करने करने की कृपा करें।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक. वि0प्रे0खं–(गा0) दिनांक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य अभियन्ता, (पा0द0पू0), 57–जार्ज टाउन प्रयागराज।
2. मुख्य वन संरक्षक मिर्जापुर क्षेत्र मिर्जापुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता वि0प्रे0मं0 द्वितीय, वाराणसी।

(एस0के0सिंह)
अधिशासी अभियन्ता